झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–3/पर्या0 प्रदु0 (वि0)–02/2009– 252 वन0, राँची दिनांक–27.01.2021

जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या–6) की धारा–4(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–4(2) के अनुरूप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3/पर्या0 प्रदु0 (वि0)–02/2009–5095 दिनांक–05.12.2017 की तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के उपरांत विभागीय अधिसूचना से झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को निम्न रूप से पुनर्गठित किया जाता है :–

सरकार के प्रतिनिधि

(1)	विशेष सचिव/प्रभारी संयुक्त सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कार्य के प्रभारी हों)	सदस्य
(2)	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड	सदस्य
(3)	निदेशक, सुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड	सदस्य
(4)	निदेशक, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, झारखण्ड	सदस्य
(5)	श्रमायुक्त, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड	सदस्य

स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि

(6)	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची	सदस्य
(7)	आदित्यपुर नगर निगम, आदित्यपुर	सदस्य
(8)	पाकुड़ नगर परिषद्, पाकुड़	सदस्य
(9)	जिला परिषद्, हजारीबाग	सदस्य
(10)	जिला परिषद्, पलामू	सदस्य

कम्पनियों/निगमों के प्रतिनिधि

(11)	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम, राँची।	सदस्य
(12)	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड।	सदस्य

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्यों (सदस्य सचिव को छोड़कर) का
जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-5 के अनुसार तीन वर्षों का हो
अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसू
अनुरूप प्रभावी होगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश

(अपरेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/प्र्या0 प्रदू0 (वि0)–02/2009– 252 व0प0, राँची दिनांक–27.01.2021

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित प्रति की 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/प्र्या0 प्रदू0 (वि0)–02/2009– 252 व0प0, राँची दिनांक–27.01.2021

प्रतिलिपि–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003/अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, परिवेश भवन, सी0बी0डी0–कम– ऑफिस कम्पलेक्स पूर्वी अर्जून नगर, नई दिल्ली–110032/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, डोरण्डा, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची/सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक, झारखण्ड/सदस्य सचिव, SEIAA/SEAC, झारखण्ड/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव